International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232, Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 28-12-2020, Accepted: 16-01-2021, Published: 25-02-2021
Volume 7, Issue 1, 2021, Page No. 68-71

नारी चेतना: चुनौतियाँ और संभावनाएँ (भारतीय कथा साहित्य के सन्दर्भ में)

डॉ. सीमा शर्मा

सहायक प्रोफेसर, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश

पितृसत्तात्मक समाज में नारी की स्थिति दोयम दर्जे की रही है। ऐसे समाज में नारी-स्वातंत्र्य, नारी अधिकार का प्रश्न कोई अर्थ नहीं रखता जब तक नारी स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बनती। आत्मनिर्भर नारी ही समाज के दोहरे मापदंड से संघर्ष करके अपने स्वत्व की स्थापना कर सकती है। प्रस्तुत शोध लेख में भारतीय कथा साहित्य के माध्यम से नारी चेतना के इन्हीं आयामों की पड़ताल की गई है।

मूल शब्द: रूढ़ियाँ, विसंगतियाँ, विरूपता, जिजीविषा, मध्यकालीन सामंती मानसिकता, असूर्यपश्या, हैल्पिंग हैंड (Helping Hand), अर्निंग हैंड (Earning Hand), संपत्ति में अधिकार

प्रस्तावना

आदिम युग से ही मानव सृष्टि नर और नारी के रूप में दो भागों में विभक्त थी। पुरुष के लिए स्त्री सदैव एक रहस्य थी, जिसे वह हर प्रकार से पराजित करना चाहता था। स्त्री के साथ प्रतियोगिता से उसे भय लगता था। अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए उसने नारी को भाँति-भाँति के बंधनों में बाँधना आरम्भ कर दिया। दूसरी और नारी में भावना का प्राधान्य था। इसलिए अपनी भावनाओं को पुरुष के साथ मिलकर साकार रूप देने के लिए उसने स्वयं वे बंधन स्वीकार कर लिय। पुरुष की नारी पर विजय पाने की कामना तथा नारी की कोमल भावना ने नारी को पद दलित बना दिया। नारी चेतना का आरम्भ तब हुआ जब उसने समाज की रूढ़ियों, परम्पराओं, विसंगतियों और विरूपताओं से जूझने की जिजीविषा दिखाई तथा उसने अपने ऊपर हो रहे शोषण और अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई। नारी में पुरुष पर विजय पाने की अदम्य लालसा नहीं थी बल्कि समाज में पुरुष के समान स्तर और अधिकार पाने की छटपटाहट थी। 'सीमोन द बोउवार' अपनी पुस्तक\द सेकेण्ड सेक्स' (स्त्री उपेक्षिता) में लिखती हैं - "स्त्री की चेतना स्वच्छ है क्योंकि वह पुरुष की तरह सुविधाग्रस्त नहीं है न ही सत्ता से मदमस्त। वह अपने को केवल बचाना चाहती है। पुरुष से अपनी अपेक्षा के अनुकूल संतोष न पाने पर वह उससे अपना दिया हुआ सब कुछ छीन लेना चाहती है। वह समझ लेती है कि सुविधा प्राप्त इस विशिष्ट वर्ग से कोमलता से काम नहीं लिया जा सकता।"

शिव के अनेक रूपों में 'अर्धनारीश्वर' का रूप इस तथ्य को इंगित करता है कि 'अर्धनारीश्वर' के रूप में शिव का स्वरुप नारी और पुरुष दोनों की सहभागिता और समभागिता का है। स्त्री और पुरुष के आधे-आधे अंगों के सहयोग से निर्मित 'अर्धनारीश्वर' नारी की स्थिति को रेखांकित करता है। 'अर्धनारीश्वर' का आधी स्त्री और आधे पुरुष का स्वरुप इस ओर भी संकेत करता है कि नारी

पुरुष के समान शक्तिशाली बने और पुरुष नारी के समान कोमल भावनाओं से युक्त हो तभी श्रेष्ठ और पूर्णता की स्थिति हो सकती है। स्त्री-पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के भी अभाव में सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। सृष्टि निर्माण में जब दोनों का योगदान बराबर है तो उनका स्तर भी समान होना चाहिए। यह धारणा मध्यकालीन सामंती मानसिकता में विस्मृत कर दी गयी थी। उस समय नारी को असूर्यपश्या बनाकर रख दिया गया। उससे सभी अधिकार छीन लिए गए। मध्यकालीन साहित्य की और यदि दृष्टिपात किया जाये तो वहां पर नारी केवल 'देह' है जिसका एकमात्र कार्य है पुरुष को भाँति- भाँति से रिझाना। तरह-तरह के नायिका भेदों में उलझा, नारी का व्यक्तित्व पूरी तरह से अपने 'स्तत्व' को खो बैठा। 'संस्कृति के चार अध्याय' में दिनकर जी लिखते हैं "अल गजाली ने लिखा है, औरतों से राय लेना ठीक है लेकिन आचरण हमेशा विपरीत करना चाहिए। नबी ने कहा है औरत की रचना छाती की टेढ़ी हड्डी से की गयी है। इसलिए तुम औरत को झुकाना चाहोगे तो वह टूट जाएगी और स्वतंत्र छोड़ोगे तो वह और भी टेढ़ी हो जाएगी।।" नारी की सृष्टि को 'टेढ़ी-हड्डी' से बताकर समाज में उसका स्थान गिराया जा रहा था। मध्यकालीन समाज में नारी मात्र भोग्या थी। वासना की आँधी में सारे मूल्य धराशायी हो गए। नारी एक 'वस्तु' बनकर रह गयी, जिसका पुरुष की इच्छा से आदान-प्रदान चलता था। वह सत्ता प्राप्त पुरुष के भवन की शोभा मात्र रह गयी। चाहे वह पद्मिनी हो अथवा जोधाबाई। सभी की कमोबेश एक समान स्थिति थी। जब राजभवन की स्त्रियों के ये हालात थे तो समाज की आम स्त्री तो हाशिये पर भयभीत खड़ी थी। जो भी राजा विजित होता उसके सैनिकों के लिए वह बड़ी सहजता से उसकी भोग्या बना दी जाती थीं। उसकी अस्मिता और सम्मान इतना सस्ता बना दिया गया, जिसे जब चाहे, जैसे चाहे खंडित किया जा सकता था। तसलीमा नसरीन अपनी पुस्तक 'औरत के हक़ में' में लिखती हैं, "सम्मान यदि कमल का पत्ता है, तो लड़की उस पर पड़ी जल की एक बूँद है। सम्मान हिला-डुला नहीं कि लड़की ओझल।" मध्यकालीन मानसिकता का प्रसार सभी विज्ञापनों और फिल्मों में देखने को मिल जाता है जहाँ नारी अभी अपने वजूद के लिए संघर्षरत है।

नारी स्वातंत्र्य का स्वप्न तभी साकार हो सकता है, जब नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। पूँजी ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव डालती है। नारी के पददलित होने का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि नारी पुरुष की आय पर निर्भर करती थी। इसलिए पुरुष की सत्ता सर्वोपरि हो गयी और निर्णय लेने के सभी अधिकार उसके पास आ गए। पुरुष पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के कारण वह उसके उचित-अनुचित आदेशों को मानने के लिए बाध्य थी। महादेवी वर्मा अपनी पुस्तक 'श्रृंखला की कड़ियाँ' में लिखती हैं, "समाज की दो आधारशिलायें हैं - अर्थ का विभाजन और स्त्री पुरुष का सम्बन्ध। इनमें से यदि एक की भी स्थिति में विषमता उत्पन्न होने लगती है तो समाज का सम्पूर्ण प्रसाद हिले बिना नहीं रह सकता।"

आधुनिक युग में नारी विमर्श का प्रसार स्वरुप जहाँ नारी आत्मनिर्भर हुई है, वहां उसके व्यक्तित्व में भी अप्रत्याशित परिवर्तन लक्षित हुआ है। उसमें आत्मविश्वास, विवेक, स्वाभिमान और बौद्धिक चेतना का विकास हुआ है। आज नारी नैतिकता के दोहरे मापदंडों से स्वतंत्रता चाहती है। वह चाहती है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान नैतिक मूल्य होने चाहिए। सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक असमानता के विरुद्ध जब स्त्री शक्ति बनकर उभरती है तो समाज उन्नति की और स्वत: ही बढ़ जाता है।

भारतीय कथा साहित्य पर यदि विहंगम दृष्टि

डाली जाये तो परम्परागत और आधुनिक नारी दोनों ही रूप लक्षित होते हैं।

मराठी लेखिका ताराबाई शिंदे ने सन` 1882 में एक लेख लिखा, जो सर्वप्रथम 'पुणे वैभव' में प्रकाशित हुआ। लगभग 40 पृष्ठ के इस लेख में ताराबाई शिंदे ने भारत में स्त्रियों की दशा और दिशा पर प्रकाश डाला है की धर्म के सभी नियम और कानून स्त्रियों के लिए बने हैं। सभी कठोर व्रत अनुष्ठान स्त्री करती है। बहन के रूप में अपने भाई के लिए, पत्नी के रूप में अपने पति के लिए तथा माँ के रूप में अपने पुत्र के लिए। इन सभी अनुष्ठानों में स्वयं स्त्री ही कर्ता होने के पश्चात भी अनुपस्थित है। जब स्वर्ग प्राप्ति की बात आती है तो उसका सारा श्रेय पुरुष को जाता है। ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि स्वर्ग में सभा चल रही है, स्त्रियाँ ठाठ से बैठी हुई मदिरापान कर रही हैं और सुन्दर पुरुषों का नृत्य देखकर वाह-वाह कर रही हैं। वस्तुत: यह फैंटेसी पुरुषों के लिए है, इसलिए उसमें स्त्री अनुपस्थित है। ताराबाई शिंदे लिखती हैं - "कभी सुना भी है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के प्राण मांगने यम के पीछे-पीछे दौड़ा जाए?" दौड़ने की बात छोड़ो, कोई पुरुष उस रास्ते पर चला भी नहीं। सौभाग्य हीन होने पर यदि स्त्री को आजन्म किसी महाखूनी के समान अंधियारी जगह पर जीवन बिताना पड़ता है तो तुम अपनी पत्नियों की मृत्यु के उपरान्त अपने मुंह पर कालिख पोतकर दाढ़ी-मूंछ मुंडवा कर 'अरण्यवास' क्यों नहीं स्वीकारते ?"

उर्दू साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई ने मुस्लिम परिवेश की पीड़ित - दलित स्त्री की अनेक मार्मिक कहानियां लिखीं, जिनमें से एक है 'छुईमुई'। एक ऐसी किशोरी जिसका बचपन में ही निकाह हो जाता है और परिवार को वारिश देने के दबाव में वह अनेक मानसिक-शारीरिक शोषण का शिकार बनती है। "बात ये हुई कि सीधे माँ के कुल्हे से तोड़कर भाईजान के पलंग की जीनत बना दी गयी और वहां एक शगुफ्ता फूल की तरह पड़े महकने के सिवा उन पर ज़िन्दगी का कोई बार न पड़ा"। औरत का अपनी 'कोख' पर भी कोई अधिकार नहीं है। वह पुरुष समाज के लिए मात्र बच्चे पैदा करने की मशीन है। "दुनिया में मसहरी की जीनत का जो एक अहम् फ़र्ज़ है, अगर वो भी न पूरा कर सकी तो यकीनन उन्हें सुख की सेज छोडनी पड़ेगी।"

तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध लेखक गुडिपाटी वेंकटचलम ने एक ऐसी विधवा किशोरी की व्यथा का वर्णन किया है, जो सत्रह वर्षीया है और गौने पर ही उसके पति का देहांत हो गया। जिसने विवाहित होते हुए भी स्त्री-पुरुष संबंधों को नहीं जाना। वह अपनी कोख से बच्चा जनना चाहती है, पर समाज उसे अधिकार नहीं देता। "पति होते तो अब ता दोहद और उत्सव। अब बहिष्कार! तब लजाकर भाभी के कान में बताती तो हंस कर गाल पर चपत लगाती। अब ऐसे चौंकेगी जैसे कान जल गया है।" वह किशोरी है अत: दैहिक संबंधों के प्रति उत्सुकता भी है और उन्हें भोगने की लालसा भी, परन्तु हमारा समाज एक विधवा को वह अधिकार नहीं देता। "भाभी जब मायके गए थी तब भैया सुब्रह्मण्यम से बेशर्म होकर कह रहे थे कि बीवी के बगैर अकेले रहना मुश्किल है। कहा की मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो ऐसे देखेंगे जैसे आसमान टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ा हो।"

मैत्रेयी पुष्पा के प्रसिद्ध कथा संग्रह 'फाइटर की डायरी' में पुलिस विभाग की नारी की दशा और दिशा को परत-दर-परत खोला गया है। पुलिस विभाग जो समाज की दृष्टि से 'रोबीला' विभाग माना जाता है, वहां भी भी स्त्री भाँति- भाँति से उत्पीडित है। "बेट्टी नाइट ड्यूटी पर अकेले कैसे जाएगी तू। ऐसा करियो भइया को संग-संग ले जाया करियो।" अविवाहित और विवाहित सभी महिलाओं की यही स्थिति है। "मुझे अभी पता चला कि मेरे लिए अब कहीं जगह नहीं। मैं बस

फ़ुटबाल की तरह हूँ, किक खाती हुई, कभी-कभी जिसे हाथों में थाम लिया जाता है।" 'फाइटर की डायरी' में एक ऐसे स्त्री कभी मौजूद है जो पूरी तरह स्वाभिमान से भरी हुई है। उसे किसी भी प्रकार की दया या गुजारा भत्ता नहीं चहिये। "यदि आप मजबूत नहीं होंगे तो कोई भी आपका हक़ काटकर आपकी जिंदगी को अपाहिज बना सकता है।"

इस प्रकार हम देखते हैं की नारी अस्मिता, नारी स्वातंत्र्य, नारी अधिकार आदि अवधारणाओं के समक्ष चुनौतियाँ भी हैं और अपार संभावनाएं भी हैं। शिक्षा के प्रसार से नारी जागरूक हुई है और आत्मनिर्भर होने से उसके स्वाभिमान को महत्त्व मिला है, परन्तु बहुत सी चुनौतियाँ ऐसी हैं जो आज भी विद्यमान हैं। जैसे आत्मनिर्भर होने के बावजूद पति से अधिक कमाने के बाद भी, उसे हेल्पिंग हैण्ड (Helping Hand) और पति को 'अर्निंग हैण्ड' (Earning Hand) कहा जाता है। भारतीय कानून में स्त्री को सम्पति का अधिकार तो मिला, पर कितनी स्त्रियाँ है, जो उस अधिकार का उपभोग कर पाती हैं। अधिकांश स्त्रियों के मन में यह आतंक बिठा दिया जाता है कि यदि तुमने अपने पिता की संपत्ति से अधिकार माँगा तो तुम्हारे मायके से सम्बन्ध समाप्त हैं। ऐसी बहुत सी अदृश्य चुनौतियाँ हैं, जिनका स्त्री आज भी सामना कर रही है।

सन्दर्भ सूची

1. स्त्री उपेक्षिता- डॉ. प्रभा खेतान
2. संस्कृति के चार अध्याय-रामधारी सिंह दिनकर
3. औरत के हक में- तसलीमा नसरीन
4. श्रृंखला की कड़ियाँ- महादेवी वर्मा
5. फाइटर की डायरी- मैत्रेयी पुष्पा
6. भारतीय साहित्य-दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन, दिल्ली